चलना चाहिए, उन मंत्रियों के खिलाफ मुकदमा चलना चाहिए। पार्लियामेंट के अंदर, इस सदन के अंदर मैं यह मांग करता हूं, उपसभापति महोदया, आपके द्वारा कि यहां एक पार्लियामेंटरी कमेटी का गठन हो और पिछली सरकार ने जो दोष किए हैं, उनकी सज़ा उनको दी जाए न कि उन गरीबों के सपनों को तोड़ा जाए जिनको एक या दो कमरे का मकान एलॉट हुए हैं और उनसे वह मकान भी छीन लिए जाएं। पच्चीस हज़ार लोग और लाईन मे लगे हुए हैं, उनके बारे में तो कुछ सोचने का सवाल ही पैदा नहीं होता लेकिन जिनको छत दी है, जो बेचारा गरीब एक डबलबेड खरीद कर घर लाया है, उसके उस डबलबेड के सपने को न तोड़ा जाए। उसके बच्चों ने डबलबेड पर कूदना शुरू कर दिया है, उस घर की औरत ने कशीदाकारी से उसका बेडकवर बनाना शुरू कर दिया है, उनके सपनों को न तोड़ा जाए। मैं उम्मीद करता हूं कि यह सदन इसको गंभीरता से लेगा और सभी पार्टियों के लोग चाहे वे किसी भी पार्टी के क्यों न हों, इस विषय को गंभीरता से लेंगे और उन अधिकारियों और उन मंत्रियों ने जिन्होंने पैसा इकट्ठा करके अपने लिए तो बंगला बना लिया लेकिन उस गरीब ने जिसने अपनी बीवी की चूड़ियां बेच कर कुछ दिया भी होगा, उसका क्या कुसूर? वह तो उस अट्टालिका पर रहने वाले उस शख्स ने गंदगी फैलाई जिसकी वजह से उसको अपनी बीवी के ज़ेवर बेचकर कुछ देना पड़ा तो उसने वह दिया। इस प्रकार वह दोषी नहीं हैं। मैं न्यायालय और न्याय की बात नहीं कहता लेकिन न्यायालय को जो तथ्य पेश किए हैं, वे तथ्य देने वाले वे लोग हैं जिन्होंने उन मंत्रियों, उन ऊंचे अधिकारियों की सहमति से ऐसे तथ्य दिए हैं ताकि वह गरीब आदमी, वह बाबू सभ्यता वाला आदमी, वह क्लर्क जिसको आज घर मिला है, उससे वह छीन लिया जाए। मैं यह मांग करता हूं कि उसके सपनों को साकार करने की जगह, उसके सपनों को तोड़ा न जाए और जो वेटिंग लिस्ट में पच्चीस हज़ार लोग हैं, उनके बारे में क्या किया जा रहा है? हमारी स्वतंत्रता की जो 50वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है, इसमें उनके लिए कोई न कोई प्रावधान होना चाहिए कि उनको भी जल्द मकान दिए जाएंगे? डेढ़ सौ रुपये हाऊस रैंट दिया जाता है। डेढ़ सौ रुपये से लेकर छः सौ रुपये के हिसाब से हाऊस रैंट का अलाउंस दिया जाता है तो छः सौ रुपये में क्या होगा? महोदया, मुम्बई के अंदर फुटपाथ पर सोने के लिए रोज दस रुपये देने पड़ते हैं, नहाने के लिए पांच रुपये देने पड़ते हैं तो जिस आदमी को एक कमरे का घर मिलेगा या जो आदमी एक कमरे का घर लेना चाहेगा, वह डेढ़ सौ या छः सौ रुपये में कहां से घर ले पाएगा। इन बातों पर विचार करना चाहिए और जिनको छत मिली है उनकी छत न छीनी जाए। इस सदन में एक ही मंत्री बैठे हैं, मैं चाहता हूं कि सभी ओर प्रधान मंत्री जी इस बारे में सोचें, सदन इस बारे में सोचें और यह सोचें कि जो गुनाह, जो पाप, जो मवाद, जो पीप पिछली सरकार ने अपनी डिस्क्रीशन की पॉवर से दी, उसका भार, उनकी गंदगी का भार यह सरकार अपने ऊपर उठाए, वहन करे और तरीके से उस मवाद को निकालने का काम करे न कि गरीबों को और कष्ट दिये जाएं। धन्यवाद।

PAPER LAID ON THE TABLE—Contd.

Report and accounts (1995-96) of G.B. Pant Institute of Himalayan Environment and Development, Almora and related papers

THE MINISTER OF ENVIRONMENT AND FORESTS

(PROF. SAIF-UD-DIN SOZ): I lay on the Table, a copy each (in English and Hindi) of the following papers:—

(i) Annual Report and Accounts of the G.B. Pant Institute of Himalayan Environment and Development, Almora, for the year 1995-96, together with the Auditors' Report on the Accounts.

(ii) Review by Government on the working of the above Institute.

(iii) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (i) above.

(Placed in Library. *See* No. LT. 1841/97)

THE DEPUTY CHAIRMAN: The House is adjourned for lunch till 2.00 P.M. We will have Special mentions from 2.00 P.M. to 2.30 P.M. and then Private Members' Legislative Business.

The House then adjourned for lunch at one minute past one of the clock.

(At 2.15 p.m. Secretary-General made the following announcement: "Hon. Members as directed by the hon. Deputy Chairman, for lack of quorum, the House is adjourned till 11 o' clock on Monday, the 5th May, 1997.")